उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

वित्त वेतनमान (नियमावली एवं विधि) प्रकोष्ठ

संख्या-1/2015/वे0आ0-2-53/दस-2015-11/2013

लखनऊ:दिनांक: 20 जनवरी, 2015

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा परीक्षक संवर्ग सेवा (अराजपत्रित) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा परीक्षक संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली,2015

	भाग-एक-सामान्य
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	**1-(1)** यह नियमावली अधीनस्थ लेखा परीक्षक संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2015 कही जायेगी। **(2)** यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियमावली का लागू होना	**2-** यह नियमावली उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, राज्यपाल सचिवालय, राज्य विधानमण्डल कार्यालय, उत्तर प्रदेश सचिवालय, महाधिवक्ता कार्यालय उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण, मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी

http://sfasandesh.up.nic.in

	(सहकारी समितियाँ और पंचायतें) और निदेशक, स्थानीय निधि और लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश को छोड़कर संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन सरकारी विभाग में संयुक्त अधीनस्थ लेखा परीक्षक संवर्ग के पदों पर लागू होगी।
अध्यारोही प्रभाव	**3-** यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाई गयी किसी अन्य नियमावली या तत्समय लागू आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी प्रभावी होगी।
सेवा की प्रास्थिति	4- उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा परीक्षक संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट है।
परिभाषायें	5-जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में:- (क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है; (ख) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य निदेशक है। (ग) '' भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाय ;

http://shabnodesh.up.nic.in

	(घ) ''आयोग'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, से है; (ड.) ''संविधान का तात्पर्य'' भारत का संविधान से है; (च) ''निदेशक'' का तात्पर्य निदेशक, आन्तरिक लेखा एंव लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश लखनऊ से है; (छ) ''सरकार ''का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है; (ज) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है; (झ)''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के सवंर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रुप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है; (ञ) ''नागरिको के अन्य पिछ़डे वर्गो'' का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछ़डे वर्गो से है। (ट) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा परीक्षक संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा से है; (ठ) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से हैं जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की

http://shasanadesh.up.nic.in

	गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा यथा समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो; (ढ)''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।
	भाग-दो-संवर्ग
सेवा का संवर्ग	6-(1) सरकारी विभागों में निदेशक, जो उक्त संवर्ग का नियंत्रक प्राधिकारी होगा, के नियंत्रण के अधीन अधीनस्थ लेखा परीक्षक संवर्ग सेवा का एक संयुक्त संवर्ग होगा। (2) अधीनस्थ लेखा परीक्षक संवर्ग सेवा के संयुक्त संवर्ग में लेखापरीक्षक और ज्येष्ठ लेखापरीक्षक के पद सम्मिलित होंगे। (3) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय। (4) सरकारी विभागों में लेखापरीक्षक और ज्येष्ठ लेखापरीक्षक के पदों की सदस्य संख्या इस नियमावली के प्रारम्भ के समय, जब तक कि उप नियम-(3) के अधीन उसमें परिवर्तन के कोई अन्य आदेश न पारित किये जाय, 962 होगी। निदेशक शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1852/दस-54(एम)-2008 टी0सी0, दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 के अनुसार

http://shasanadesh.up.nic.in

	लेखापरीक्षक और ज्येष्ठ लेखापरीक्षक के पदों की संख्या पुनः अवधारित कर सकते हैं एवं विभिन्न सरकारी विभागों की आवश्यकता के दृष्टिगत यथास्थिति लेखापरीक्षक और/अथवा ज्येष्ठ लेखापरीक्षक के पदों को आवंटित कर सकते हैं। ऐसा आवंटन वर्ष दर वर्ष आधार पर निदेशक द्वारा पुनरीक्षित किया जायेगा और यदि इसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता हो तो निदेशक द्वारा शासन के अनुमोदन से परिवर्तन किया जा सकेगा। परन्तु यह कि (एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या (दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।
	भाग-तीन-भर्ती
भर्ती का स्रोत	7- सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्न स्रोतों से की जायेगी:--

(1) लेखापरीक्षक	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
(2) ज्येष्ठ लेखापरीक्षक	विभागीय चयन

http://shasanadesh.up.nic.in

		समिति के माध्यम से मौलिक रूप से, नियुक्त ऐसे लेखापरीक्षकों से जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
आरक्षण	8- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रुप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।	
	भाग-चार- अर्हताएं	
राष्ट्रीयता	9- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:-- (क) भारत का नागरिक हो, या; (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में आया हो, या	

http://shasanadesh.up.nic.in

	(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रवजन किया हो: परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया होः परन्तु अग्रेतर यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें; परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें। टिप्पणी: ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु जिसे न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रुप से

http://shasanadesh.up.nic.in

	नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।
शैक्षिक अर्हतायें	10- सेवा में लेखापरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैः- (एक) भारत वर्ष में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कामर्स में स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एकाउटेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। (दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर संचालन में 'ओ' लेबल डिप्लोमा।
अधिमानी अर्हतायें	11- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने - (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम् दो वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
आयु	12- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिये रिक्तियां प्रकाशित की जायें, पहली जुलाई को क्रमशः 21 वर्ष की आयु प्राप्त

http://shasanadesh.upnic.in

	कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की होः परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
चरित्र	13- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा। टिप्पणी: संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।
वैवाहिक प्रास्थिति	14- सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होंगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी होः

http://shasanadesh.up.nic.in

	परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।
शारीरिक समर्थता	15- किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रुप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-दो, भाग-तीन के अध्याय-तीन में दिये गये फण्डामेण्टल रुल, 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें: परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गए अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
	भाग-पांच-भर्ती की प्रक्रिया
रिक्तियों का अवधारण	16- नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ नियम-8 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित

http://shasanadesh.up.nic.in

	की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियाँ आयोग को सूचित की जाएंगी।
आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया	17- (1) प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा हेतु आवेदन-पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किये जाएगें। (2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश प्रमाण-पत्र न हो। (3) लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् आयोग, नियम-8 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों को उतनी संख्या में साक्षात्कार के लिए बुलाएगा जो कि इस सम्बन्ध में लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग द्वारा निर्धारित मानक तक पहुँच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक उसके द्वारा लिखित परीक्षा में अर्जित किये गये अंको में जोड़े जाएंगे। 4- आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसे कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त औसत अंकों से प्रकट हों, एक

http://shasanadesh.up.nic.in

	सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा जितनी वह नियुक्ति के लिये उचित समझे। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर औसत अंक प्राप्त करें, तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में भी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग, सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता क्रम में उनके नामों को व्यवस्थित करेगा। आयोग सूची, नियुक्ति प्रधिकारी को अग्रसारित करेगा।
विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया	18- सेवा में पदोन्नति द्वारा भर्ती, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिये नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर की जायेंगी। टिप्पणी:- चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों को प्रतिनिधित्व देने के लिये नाम निर्देशन, समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की धारा-7 के अधीन दिये गये आदेशों

http://shasanadesh.up.nic.in

	के अनुसार किया जायेगा। (2) नियुक्ति प्राधिकारी, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति/पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां तैयार करेगा और उसे उसकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझें जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा। (3) चयन समिति उपनियम(2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है। (4) चयन समिति चयनित किये गये अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता क्रम में जैसी उस संवर्ग में हों, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।
	भाग-छः- नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता
नियुक्ति	19-(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम-17 या 18 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हो, नियुक्तियॉ करेगा। (2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाय तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों

http://gnasanadesh.up.nic.in

	के नामों का उल्लेख, उसी ज्येष्ठता के क्रम में किया जायेगा जैसा यथास्थिति, चयन में अवधारित किया गया हो, या जैसा कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया हो।
परिवीक्षा	20-(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रुप से नियुक्त किये जाने पर व्यक्ति को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जाएगा। (2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है। (3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। (4) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद

http://shasandesh.up.nic.in

	पर स्थानापन्न या अस्थायी रुप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।
स्थायीकरण	21-(1)उपनियम (2) के उपबन्धो के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा,यदि- (क)उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय, (ख)उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय,और (ग)नियुक्ति प्राधिकारी का यह सामाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है। (2) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवको की स्थायीकरण नियमावली,1991 के उपबन्धो के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नही है वहां उस नियमावली के नियम-5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुऐ आदेश को कि, सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।
ज्येष्ठता	22-- सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रुप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर

http://shasanadesh.up.nic.in

	यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी। परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रभावी होने से पूर्व विभिन्न सरकारी विभागों में मौलिक रुप से लेखापरीक्षक/ज्येष्ठ लेखापरीक्षक के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की संयुक्त ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के आधार पर अवधारित की जायेगी ; परन्तु अग्रतर यह और कि यदि भिन्न-भिन्न सरकारी विभागों में दो या अधिक व्यक्तियों की मौलिक नियुक्ति का दिनांक एक ही हो जाता है तो उनकी ज्येष्ठता का अवधारण यथास्थिति लेखापरीक्षक या ज्येष्ठ लेखापरीक्षक के पोषक पद पर मौलिक नियुक्ति के दिनांक के आधार पर किया जायेगा ; परन्तु यह और भी कि यदि तब भी मौलिक नियुक्ति का दिनांक एक ही हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा जो आयु में ज्येष्ठ होगा।
	भाग-सात-वेतन इत्यादि
वेतनमान	23- सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जायेगा। (2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय में वेतनमान नीचे दिये गये हैं:--

http://shasanadesh.up.nic.in

	क्र0 स0	पद का नाम	वेतनमान		
			वेतन बैण्ड का नाम	तत्सदृश वेतन बैण्ड (रू0)	तत्सदृश ग्रेड वेतन (रू0)
	1	2	3	4	5
	(1)	लेखा परीक्षक	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	2800
	(2)	ज्येष्ठ लेखापरीक्षक	वेतन बैण्ड-2	9300-34800	4200
परिवीक्षा अवधि में वेतन	24- (1) फण्डामेन्टल रुल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहॉ विहित हो विभागीय परीक्षा, उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो: परन्तु यह कि यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के				

http://srasanadesh.upnic.in

	लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे। (2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रुल्स द्वारा विनियमित होगा । परन्तु यह कि यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे। (3) ऐसे व्यक्ति का; जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्य कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।
	भाग-आठ-अन्य उपबन्ध
पक्ष समर्थन	25-किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।
अन्य	26-ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रुप से

http://shasanadesh.upnic.in

विषयों का विनियमन	इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।
सेवा की शर्तों में शिथिलता	27-जहॉ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् कठिनाई होती है वहां उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है। परन्तु यह कि जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया है वहां उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने से पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जाएगा।
व्यावृत्ति	28- इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण व अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष

http://shasanadesh.up.nic.in

	श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(अजय अग्रवाल)

सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1/2015/V.A.2-53/Ten-2015-11/2013 dated 20 Jan.2015

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
VITT (VETAN AYOG) ANUBHAG-2
VITT VETANMAN (NIYAMAWALI AND VIDHI) PRAKOSTH

NOTIFICATION
Miscellaneous
No. 1/2015/V.A.2-53/Ten-2015-11/2013
Dated Lucknow, 20 Jan.2015

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Government Department Subordinate Auditor Cadre (Non-Gazetted) Service :

***THE* UTTAR *PRADESH GOVERNMENT DEPARTMENT* SUBORDINATE AUDITOR CADRE (NON-GAZETTED) SERVICE RULES, 2014**

PART-I- GENERAL

Short title and commencement	1-	(1) These rules may be called The Uttar Pradesh Government Department Subordinate Auditor Cadre (Non-Gazetted) Service Rules, 2014. (2) They shall come into force at once.
Application of these rules	**2-**	These rules shall apply to the posts of the Combined Subordinate Auditor Cadre in Government Departments under the rule making power of the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution excluding the High Court of Judicature at Allahabad, Governor's Secretariat, of the Offices of the State Legislature, Uttar Pradesh Secretariat,

http://sansadesh.up.nic.in

		Advocate General Uttar Pradesh, Lok Ayukta Uttar Pradesh, The Uttar Pradesh State Public Services Tribunal, The Chief Audit Officer (Co-operative Societies and Panchayats), Uttar Pradesh and the Director, Local Fund and Audit, Uttar Pradesh.
Overriding effect	**3-**	These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules made by the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution, or orders, for the time being in force.
Status of the service	**4-**	The Uttar Pradesh Government Department Subordinate Auditor Cadre (Non-Gazetted) Service is a service comprising Group "C" posts.
Definitions	**5-**	In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context: (a) "**Act**" means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes)Act, 1994; (b) "**appointing authority**" means the Director (c) "**citizen of India**" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution; **(d) "Commission**" means the Uttar Pradesh Public Service Commission; **(e) "Constitution**" means the Constitution of India; **(f) "Director"** means the Director, Internal Accounts and Audit, Uttar Pradesh, Lucknow; **(g) "Government**" means the State Government of Uttar Pradesh; **(h) "Governor**" means the Governor of Uttar Pradesh; **(i) "member of the Service**" means a person substantively appointed under these rules or the

http://shasanadesh.up.nic.in

		rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service; **(j) "other backward classes of citizens**" means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Act, as amended from time to time; **(k) "service**" means the Uttar Pradesh Government Department Subordinate Auditor Cadre (Non-Gazetted) Service ; **(l) "substantive appointment**" means an appointment, not being an ad hoc appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government; **(m)** "**year of recruitment**" means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year.
		PART-II- CADRE
Cadre of Service	**6-**	(1)There shall be a combined cadre of the Subordinate Auditor Cadre Service in Government Departments under the control of the Director who shall be the controlling authority for the said cadre. (2)The combined cadre of the Subordinate Auditor Cadre Service shall consist of the posts of Auditor and Senior Auditor. (3)The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time. (4) The combined strength of the posts of Auditor and Senior Auditor in Government Departments at the time of the commencement of these rules, until orders varying the same are passed under sub-rule (3), is 962. On the basis of the said combined

http://shasanadesh.up.nic.in

		strength, the Director shall redetermine the number of posts of Auditor and Senior Auditor in accordance with Government Order No. Va.Aa.-2-1852/Ten-54(M) 2008 T.C., dated October 10, 2011 and the Director shall, keeping in view the requirements of the various Government Departments, allocate to them the posts of Auditor and /or Senior Auditor, as the case me be. Such allocation shall be reviewed at the level of the Director on year to year basis and if some change is required, it shall be made by the Director with the approval of the Government: Provided that:- (i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or (ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts, as he may consider proper.
		PART-III- RECRUITMENT
Source of recruitment	**7-**	Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources: **(1) Auditor**- By direct recruitment through the Commission. **(2) Senior Auditor-**By promotion through the Departmental Selection Committee from amongst substantively appointed Auditors who have completed three years service as such on the first day of the year of recruitment.
Reservation	**8-**	Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the Act, and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for

http://snsanadesh.up.nic.in

		Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993, as amended for time to time, and the orders of the Government in force at the time of the recruitment.
		PART-IV-QUALIFICATIONS
Nationality	**9-**	A candidate for direct recruitment to a post in the service must be: (a) a citizen of India; or (b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or (c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India: Provided that a candidate belonging to a category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government: Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh: Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year shall be subject to his acquiring Indian citizenship. **NOTE**- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an

http://shasanadesh.up.nic.in

		examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.
Academic Qualification	**10-**	A candidate for direct recruitment to the post of Auditor in the Service must possess the following qualifications: (i) Bachelor's Degree in Commerce from a University established by law in India or a Post-Graduate Diploma in Accountancy from a University or Institute recognised by the Government. (ii) 'O' level Diploma in computer operation from an institute recognised by the Government.
Preferential Qualification	**11-**	A candidate who has: (i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or (ii) obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps, shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.
Age	**12-**	A candidate for direct recruitment to a post in the Service must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 40 years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised by the Commission: Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time, shall be greater by such number of years as may be specified.
Character	**13-**	The character of a candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such as to render

http://shasanadesh.up.nic.in

		him suitable in all respects for employment in Government Service. The appointing authority shall satisfy itself on this point. **NOTE-** Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.
Marital Status	**14-**	A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service: Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.
Physical fitness	**15-**	No candidate shall be appointed to a post in the Service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental rule 10, contained in chapter III of the Financial Hand-Book, Volume II, Part III : Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.
		PART-V-PROCEDURE FOR RECRUITMENT
Determination of Vacancies	**16-**	The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of

http://sharadesh.up.nic.in

		the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 8. The vacancies to be filled through the Commission shall be intimated to them.
Procedure for direct recruitment through the Commission	**17-**	(1) Application for permission to appear in the competitive examination shall be invited by the Commission in the form published in the advertisement issued by the Commission. (2) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission, issued by the Commission. (3) After the results of the written examination have been received and tabulated, the Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribe and other categories under rule 8, summon for interview such number of candidates as, on the result of the written examination, have come up to the standard fixed by the Commission in this respect. The marks awarded to each candidate at the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination. (4) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by each candidate at the written examination and interview and recommend such number of candidates as they consider fit for appointment. If two or more candidates obtain equal marks in the aggregate, the name of the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher in the list. If two or more candidates obtain equal marks in

http://sharanadesh.up.nic.in

		the written examination also, the Commission shall arrange their names in order of merit on the basis of their general suitability for the service. The Commission shall forward the list to the appointing authority.
Procedure for recruitment by promotion through the Departmental Selection Committee	**18-**	(1) Recruitment by promotion shall be made on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time, through the Selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for Posts Outside the Purview of the Service Commission Rules, 1992, as amended from time to time. **NOTE**- Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Act, as amended from time to time. (2) The appointing authority shall prepare eligibility list of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts out side the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986, as amended from time to time, and place the same before the Selection Committee alongwith their character rolls and such other records, pertaining to them, as may be considered proper. (3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records, referred to in sub-rule (2) and, if it considers necessary, it may interview the candidates also.

http://shasanadesh.up.nic.in

		(4)The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the appointing authority.
		PART-VI- APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY
Appointment	**19-**	(1) The appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules 17 or 18, as the case may be. (2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted.
Probation	**20-**	(1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Probation Rules, 2013. (2) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or the extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with. (3) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (2) shall not be entitled to any compensation.

http://shasanadesh.up.nic.in

		(4) The appointing authority may allow continuous service rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.
Confirmation	**21-**	(1) Subject to the provisions of sub-rule(2), a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if- (a) his work and conduct is reported to be satisfactory, (b) his integrity is certified, and (c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation. (2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991, confirmation is not necessary, the order under sub-rule (3) of rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation, shall be deemed to be the order of confirmation.
Seniority	**22-**	The seniority of the persons substantively appointed in any category of posts in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time.
		PART-VII-PAY ETC
Scales of pay	**23-**	(1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time. (2)The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given below:

http://sharanadesh.up.nic.in

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Serial no.</th><th rowspan="2">Name of Post</th><th colspan="3">Scale of Pay</th></tr>
<tr><th>Name of Pay Band</th><th>Corresponding Pay Band (Rs)</th><th>Corresponding Grade Pay (Rs)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Auditor</td><td>Pay Band-1</td><td>5200-20200</td><td>2800</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Senior Auditor</td><td>Pay Band-2</td><td>9300-34800</td><td>4200</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Pay during probation</td><td>24-</td><td>(1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the-time scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training, where prescribed, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed:
(2) The Pay during probation of a person who was already holding a post under the Government shall be regulated by the relevant fundamental rules:
Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority direct otherwise.
(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the state.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>PART-VIII-OTHER PROVISIONS</td></tr>
<tr><td>Canvassing</td><td>25-</td><td>No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration.</td></tr>
</table>

http://shasanadesh.up.nic.in

		Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.
Regulation of other matters	**26-**	In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the state.
Relaxation from the conditions of service	**27-**	Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner: Provided that where a rule has been framed in consultation with the Commission, that body shall be consulted before the requirements of the rule are dispensed with or relaxed.
Savings	**28-**	Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By order

(AJAY AGARWAL)

http://shasanadesh.up.nic.in

Secretary

http://shasanadesh.up.nic.in